प्रतिवेदन

कार्य का नाम :— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत एन0एच0 94 से खरादी नंगाणगांव के कि0मी0 9.00 से बंचाणगांव।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय एवं उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोडने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। उक्त के क्रम में सचिव ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 2491/पी03–14/ यू0आर0आर0डी0ए0/10 दिनांक 18 मार्च 2011 द्वारा उक्त मार्ग का अनुमोदन किया गया है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बंचाणगांव की कुल आबादी 373 जो अभी तक किसी भी बारहमासी मोटर मार्ग से जुडा नही है। मोटर मार्ग के अभाव में यह क्षेत्र पिछडा हुआ है। उन्नत कृषि भूमि होने से क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। मार्ग की कमी के कारण फसलों का उचित मूल्य एवं सरकार द्वारा लाभान्वित की जाने वाली योजना का लाभ एवं संचालन में कठिनाई होती है, जिस कारण युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिये पलायन करना पडता है।

उल्लिखित है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नापभूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वनभूमि के क्षेत्रों में लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में 0.322 है0 सिविल सोयम वनभूमि, 0.192 है0 वन पंचायत भूमि, 0.822 है0, आरक्षित वनभूमि एवं 2.137 है0 नापभूमि की आवश्यकता है साथ ही 0.377 है0 मक डिस्पोजल हेतु नापभूमि है, जो न्यूनतम एवं है। वनभूमि हस्तान्तरित करने हेतु वनभूमि संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित किया गया है। विस्तृतज सर्वेक्षण उपरान्त मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखण पर विचार किया गया है।

समरेखण 01— यह लाल रंग से दर्शाया गया है के अनुसार 2 हेयर पिन बैण्ड, 0.822 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.192 है0 वन पंचायत भूमि, 0.322 है0 सिविल सोयम भूमि, 2.137 है0 नापभूमि एवं 0.377 है0 नापभूमि मक डिस्पोजल की आवश्यकता है एवं 34 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के प्रभावित होंगें।

समरेखण 02— जो नीले रंग से दर्शाया गया है के अनुसार 06 हेयर पिन बैण्ड, 1.501 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.287 है0 वन पंचायत भूमि, 0.385 है0 सिविल सोयम भूमि एवं 1.188 है0 नापभूमि की आवश्यकता है। साथ ही 188 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के एवं 10 वृक्ष बांज के प्रभावित होंगें।

उक्त को ध्यान में रखते हुए एवं भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार समरेखण 01 जो लाल रंग से दर्शाया गया है तकनीकी पर्यावरणीय एवं भू–गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है एवं ग्रामवासियों द्वारा सहमति प्राप्त है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0
पुरोला उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0
पुरोला उत्तरकाशी
Assistant Engineer
PMGSY I.D. Purola,
(Uttarkashi)

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0
पुरोला उत्तरकाशी
Executive Engineer
PMGSY I.D. Purola,
(Uttarkashi)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Scanned by CamScanner

09 OCT 2017
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

फोन/फैक्स नं0–01375–224233
E-Mail dfobakot@gmail.com
वन मित्र कॉल सेंटर – 9208008000

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

पत्रांक 497 /12–1 दिनांक, बड़कोट, अगस्त 26 2017

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फारेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खरादी नगाणगांव मोटर मार्ग के किमी0 9.00 से बचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, पुरोला द्वारा विषयक मोटर मार्ग निर्माण का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय को अपने पत्रांक–574/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0, दिनांक 23.08.2017 से उपलब्ध कराया है। सम्बन्धित प्रस्ताव की दो हार्ड प्रति प्रयोक्ता ऐजेन्सी के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जा रही है। कृपया प्रस्ताव की प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा करें।

संलग्नकः– प्रस्ताव दो प्रतियों में।

भवदीय

(जे0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को मय प्रस्ताव की एक हार्ड प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(जे0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।